



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 14, 2010/आषाढ़ 23, 1932

No. 175]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 14, 2010/ASADHA 23, 1932

### भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2010

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों  
और कर्मचारियों की नियुक्ति) (दसवां संशोधन) विनियम,  
2010

(2010 का संख्यांक 3)

फा. सं. 5-4/2000-प्र. एवं. का.—भारतीय दूरसंचार  
विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा  
10 की उप-धारा (1) तथा धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त  
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक  
प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों  
और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) में  
और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता  
है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  
(अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (दसवां संशोधन)  
विनियम, 2010 कहा जाएगा।

(2) ये भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से  
लागू होंगे।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और  
कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) की  
अनुसूची I में,—

(क) प्रधान सलाहकार के पद के सम्मुख, “प्रतिनियुक्ति के  
लिए अर्हता और अनुभव” शीर्ष के अंतर्गत—

(I) प्रविष्टि (ii) में, “छह वर्ष की नियमित सेवा” शब्दों के  
स्थान पर “तीन वर्ष की नियमित सेवा” शब्द प्रतिस्थापित  
किए जाएंगे;

(II) प्रविष्टि (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि  
प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(iii) समूह क में इक्कीस वर्ष की नियमित सेवा  
रखने वाले समूह क अधिकारी, जिसमें से कम  
से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा एसएजी में  
होगी”;

(ख) सलाहकार के पद के सम्मुख, “प्रतिनियुक्ति के लिए  
अर्हता और अनुभव” शीर्ष के अंतर्गत—

(I) प्रविष्टि (ii) में, “छह वर्ष की नियमित सेवा” शब्दों के  
स्थान पर “चार वर्ष की नियमित सेवा” शब्द प्रतिस्थापित  
किए जाएंगे;

(II) प्रविष्टि (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि  
प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(iii) समूह क में सत्रह वर्ष की नियमित सेवा रखने  
वाले समूह क अधिकारी, जिसमें से कम से  
कम चार वर्ष की नियमित सेवा प्रवरण ग्रेड में  
होगी”;

